

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
किशानीदेवी पत्नी मालाराम जाति जाट, निवासी बुढातला तहसील शिव, जिला बाड़मेर		कलाराम पुत्र फुसाराम जाति जाट, निवासी बुढातला तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (09)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (53, 188, 207)

मुकदमा नम्बर 177/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12.08.2025	<p>प्रार्थीगण/वादीगण/अपीलाण्ट के अधिवक्ता नरेन्द्रसिंह सियाग द्वारा यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 53, 188, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण/रेस्पोंडेन्ट जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 15.09.2025 को पेश हो।</p> <p><i>सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)</i></p>	
15.09.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 4.11.25 को पेश हो।</p>	
04.11.25	<p>पत्रावली पेश। वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण की तामिली हेतु दिनांक 0.12.25 को पेश हो।</p> <p><i>सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)</i></p>	
3.12.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 17.12.25 को पेश हो।</p>	

10832-16840
2025-11-20



तारीख हुकम

12.1.26

पत्रावली पेश हुई।
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के
कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दि. 26.2.26 को पेश हो।

26.01.26

पत्रावली पेश की जाती है।
पत्रावली वाले प्रतिवादी गण की समिति
के दिनांक 01.04.26 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

1.4.26

पत्रावली पेश हुई।
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के
कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दि. 6.5.26 को पेश हो।

6.5.26

पत्रावली पेश / वादी वकील अनुपस्थित।
पत्रावली में पैरवी हेतु वादी व वकील वादी को
न्यायालय समय में रुक-रुककर आवाजे दी
जाने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली
में उभावी पैरवी नहीं होने तथा अनुपस्थित रहने
पर पत्रावली इसी स्टेज पर अदम हाजरी व
अदम पैरवी में खारिज की जाती है।
पत्रावली प्रेषित होकर नगद से कम लेकर
दाखिल इफ्तार हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

सुवां
Kendy